

**न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर**

पीठासीन अधिकारी:- एन.एम. पहाड़िया, आई.ए.एस., जिला कलक्टर, धौलपुर  
विविध प्रार्थना पत्र नम्बर(मुकदमा नम्बर):- 36/2018 (RCMS No. 2018/00063)

**उनवान:-**

1. सचिव, सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, धौलपुर.....प्रार्थी

**बनाम**

1. कृष्णा वेवा बिजेन्द्र सिंह जाति ठाकुर निवासी मौजा का नगला तह0 धौलपुर
2. बृज किशोर पुत्र बिजेन्द्र सिंह जाति ठाकुर नि0 मौजा का नगला तह0 धौलपुर
3. रामगोपाल पुत्र बिजेन्द्र सिंह जाति ठाकुर निवासी मौजा का नगला तहसील व  
जिला धौलपुर-----अप्रार्थीगण



**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 99 व 103  
राज0 सह0सोसायटी अधिनियम 2001  
के तहत ऋणी सदस्य की बैंक में  
रहन सम्पत्ति को बैंक के पक्ष में  
अन्तरित करने बाबत।**

**उपस्थिति:-**

प्रार्थी की ओर से:- श्री फरमान वेग, प्रतिनिधि बैंक

**निर्णय दिनांक:- 04.09.2018**

**निर्णय**

प्रार्थी बैंक द्वारा एक प्रार्थना पत्र राजस्थान सह. सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण द्वारा बैंक से लिए गए ऋण की समय पर अदायगी नहीं करने के कारण अप्रार्थीगण के विरुद्ध वर्तमान में 455668/- रुपये की राशि बकाया निकल रही है। इस बकाया अवधि पार राशि की वसूली हेतु प्रार्थी द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 99 के तहत नोटिस जारी कर अधिनियम की धारा 100 के तहत आदेश जारी कर ऋण की सुरक्षा स्वरूप बैंक के पक्ष में रहन की गई कृषि भूमि की समय-समय पर 3-4 बार नीलामी कार्यवाही की गई किन्तु नीलामी कार्यवाही के दौरान किसी भी क्रेता द्वारा बोली नहीं लगाये जाने के कारण रहन शुदा कृषि आराजी की नीलामी नहीं हो पाई जिसके कारण बैंक की बकाया ऋण राशि की वसूली संभव नहीं हो पा रही है। राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अन्तर्गत जो सम्पत्ति क्रेताओ के अभाव में नहीं बेची जा सके उस सम्पत्ति को सम्बन्धित संस्था की सहमति पर सम्बन्धित संस्था को अन्तरण करने के अधिकार जिला कलक्टर को उक्त अधिनियम के तहत प्रदत्त किये गये है। बैंक के प्रशासक द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 15.06.2017

**(नन्मल पहाड़िया)**  
जिला कलक्टर  
धौलपुर


द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी, अप्रार्थीगण की रहन शुदा कृषि भूमि जो क्रेताओ के अभाव में नहीं बेची जा सकी है, को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 व 99 के अनुसार अपने नाम अन्तरण कराने हेतु सहमत है। अतः बैंक हितो को ध्यान में रखते हुए प्रशासक द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव एवं अधिनियम की धारा 103 व नियम 99/100 के प्रावधानो के अन्तर्गत आदतन ऋण अदा नहीं करने वाले अप्रार्थीगण की बैंक में रहन शुदा कृषि आराजी जो नीलामी कार्यवाही में क्रेताओ के अभाव में नहीं बेची जा सकी, को प्रार्थी बैंक के नाम अन्तरण (Transfer) किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को बकाया ऋण राशि जमा कराने हेतु नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि यदि अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें।

अप्रार्थीगण को जारी नोटिस की तामील विधिवत् रूप से कराई गई। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये।

प्रार्थी बैंक ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नोटिस दिनांक 22.2.2012 डिक्री आदेश 21.11.2012 निष्पादन आदेश दिनांक 26.11.2013, मॉग का नोटिस 2.5.2014, 20.1.2016, 16.2.2016, 22.3.2016, 17.5.2017, विक्रय की उदघोषणा दिनांक 2.6.2014, 28.12.2015, 28.1.2016, 28.2.2016, 24.4.2017 रहननामा दिनांक 09.3.2009 जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 ग्राम मौजा का नगला पेश की।

प्रार्थी बैंक के प्रतिनिधि की बहस सुनी गई। बैंक के प्रतिनिधि ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा बैंक से लिए गए ऋण की समय पर अदायगी नहीं करने के कारण अप्रार्थीगण के विरुद्ध वर्तमान में 455668/- रुपये (जिसमें से अवधि पार असल 208293/-रुपये, ब्याज 191037/-रुपये, द0 ब्याज 34520/- रुपये वसूली व्यय 21818/-रुपये) की राशि बकाया निकल रही है। इस बकाया राशि की वसूली हेतु अप्रार्थीगण को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 के नियम 99 के तहत नोटिस जारी कर अधिनियम की धारा 100 के तहत आदेश जारी कर ऋण की सुरक्षा स्वरूप बैंक के पक्ष में रहन की गई कृषि भूमि की समय-समय पर 3-4 बार नीलामी कार्यवाही की गई किन्तु नीलामी कार्यवाही के दौरान किसी भी क्रेता द्वारा बोली नहीं लगाये जाने के कारण रहन शुदा कृषि आराजी की नीलामी नहीं हो पाई जिसके कारण बैंक की बकाया ऋण राशि की वसूली संभव नहीं हो पाई। बैंक के प्रशासक द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 15.06.2017

  
(नन्मल फहाडिया)  
जिला कलक्टर  
धीलपुर

द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी, अप्रार्थीगण की रहन शुदा कृषि भूमि जो क्रेताओ के अभाव में नही बेची जा सकी है, को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 व नियम 99 के अनुसार प्रार्थी अपने नाम अन्तरण कराने हेतु सहमत है। अतः बैंक हितो को ध्यान में रखते हुए प्रशासक द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव एवं अधिनियम की धारा 103 व नियम 99/100 के प्रावधानो के अन्तर्गत अप्रार्थीगण की बैंक में रहन शुदा कृषि आराजी खसरा नम्बर 942 रकवा 2 बीघा 15 विस्वा, 1081 रकवा 2 बीघा 05 विस्वा, 1084 रकवा 0.02 विस्वा, 1125 रकवा 1 बीघा 8 विस्वा, 1127 रकवा 1 बीघा 09 विस्वा, 1228 रकवा 1 बीघा 12 विस्वा, कुल किता 6 कुल रकवा 9 बीघा 11 विस्वा का 11/120 भाग आराजी खसरा नम्बर 935 रकवा 2 बीघा 06 विस्वा, 1079 रकवा 0.19 विस्वा, 1080 रकवा 2 बीघा 18 विस्वा, 1428 रकवा 0.02 विस्वा, किता 4 रकवा 6 बीघा 03 विस्वा का 1/3 भाग आराजी खसरा नम्बर 1078 रकवा 18 विस्वा, 1082 रकवा 2 बीघा 03 विस्वा, 1298 रकवा 2 बीघा 11 विस्वा, 1318 रकवा 1 बीघा 08 विस्वा, 1320 रकवा 1 बीघा 12 विस्वा, 1338 रकवा 3 बीघा 14 विस्वा, 1506/1406 रकवा 0.02 विस्वा, किता 7 रकवा 12 बीघा 08 विस्वा का 1/4 भाग कुल रकवा 6 बीघा वाके ग्राम मौजा का नगला जो नीलामी कार्यवाही में क्रेताओ के अभाव में नही बेची जा सकी, को प्रार्थी बैंक के नाम अन्तरण (Transfer) किया जावे।


प्रार्थी सचिव भूमि विकास बैंक लिमिटेड धौलपुर के प्रतिनिधि की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अप्रार्थीगण द्वारा बैंक ऋण की बकाया राशि 565162/- रूपये जमा नही करवाई गई है। तथा अप्रार्थीगण की बैंक में रहन शुदा सम्पत्ति आराजी खसरा नम्बर 942 रकवा 2 बीघा 15 विस्वा, 1081 रकवा 2 बीघा 05 विस्वा, 1084 रकवा 0.02 विस्वा, 1125 रकवा 1 बीघा 8 विस्वा, 1127 रकवा 1 बीघा 09 विस्वा, 1128 रकवा 1 बीघा 12 विस्वा कुल किता 6 कुल रकवा 9 बीघा 11 विस्वा का 11/120 भाग आराजी खसरा नम्बर 935 रकवा 2 बीघा 06 विस्वा, 1079 रकवा 0.19 विस्वा, 1080 रकवा 2 बीघा 18 विस्वा, 1428 रकवा 0.02 विस्वा, किता 4 रकवा 6 बीघा 03 विस्वा का 1/3 भाग आराजी खसरा नम्बर 1078 रकवा 18 विस्वा, 1082 रकवा 2 बीघा 03 विस्वा, 1298 रकवा 2 बीघा 11 विस्वा, 1318 रकवा 1 बीघा 08 विस्वा, 1320 रकवा 1 बीघा 12 विस्वा, 1338 रकवा 3 बीघा 14 विस्वा, 1506/1406 रकवा 0.02 विस्वा, किता 7 रकवा 12 बीघा 08 विस्वा का 1/4 भाग कुल रकवा 6 बीघा वाके ग्राम मौजा का नगला को जरिये नीलामी 3-4 बार विक्रय करने हेतु कार्यवाही की गई किन्तु क्रेताओ के अभाव में उक्त सम्पत्ति नही बेची जा सकी है। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को बैंक की उक्त राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की विधिवत् तामील अप्रार्थीगण पर करवाई गई किन्तु बावजूद तामील

  
(नन्मल फ्हाकिया)  
जिला कलक्टर  
धौलपुर

नोटिस अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि प्रार्थी बैंक में जमा नही करवाई और नाही न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश किया।

अतः न्याय के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त रहन शुदा आराजी को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 103 के अन्तर्गत सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड धौलपुर के पक्ष में अन्तरित (Transfer) किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। सम्बन्धित तहसीलदार को निर्देश दिये जाते है कि नियमानुसार अप्रार्थीगण की उपरोक्त आराजी को प्रार्थी बैंक के नाम अन्तरित (Transfer) किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(एन.एम.पहाडिया)  
जिला कलेक्टर, धौलपुर  
जिला कलेक्टर  
धौलपुर

